प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **26/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Radha Charnal Add: Chandpol Bahar, ward no. 25, Kankaroli, Rajsamand

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329966631566039 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2997098071 दिनांक 11.02.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/27/25/199–200 दिनांक 11.02.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली ने जरिये पत्रांक: आरटीआई/2025/89 दिनांक 06.03.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम मावली में अन्दर हल्का आबादी जिसके आराजी संख्या 790 में रोड़ के किनारे उनके पिता श्री अशोक कुमार गुसर पिता नाना लाल के मकान का पट्टा एवं पड़ोसियों के नाम आवासीय मकानो के पट्टो की प्रमाणित प्रति चाही गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली को पत्र क्रमांक 419 दिनांक 16.07.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जाकर प्रार्थिया को समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया गया। प्रार्थिया द्वारा दिनांक 11.02.2025 को पुनः प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मावली को पत्र क्रमांक 69 दिनांक 25.02.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जाकर प्रार्थिया को समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया गया। अतः अपील निरस्त करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2025 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना विकास अधिकारी पंचायत

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

समिति मावली एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मावली से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति मावली एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मावली को हस्तांतरित किया गया और उक्त अंतरण के संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित किया गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

जिला अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर